न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्ंया	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
163/2025	2025/421	06.11.2025	26.02.2026

शीर्षक

सुनील कुमार चौधरी पुत्र प्रहलाद सहाय चौधरी जाति जाट. निवासी कल्याणपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। **वादी**

बनाम

1. मदनलाल पुत्र सुवालाल
2 धीरज देबी पत्नी मदनलाल
3 मोहित पुत्र मदनलाल
4. मंजित पुत्र मदनलाल
5. मोहन पुत्र सुवालाल

समस्त जाति माली निवासी नहर रोड भोमियांजी का मन्दिर किराडोद, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.।

6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजरथान। प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट</u>

1. वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री रघुवीर सैनी के द्वारा पेश वादपत्र निम्नानुसार है कि स्थित ग्राम किराडोद तहसील पावटा जिला कोटपूतती–बहरोड राजस्थान आराजी हाल खसरा नम्बर 1324/1260/0.0520 वादी की खातेदारी एएवं कब्जे काश्त की भूमि है अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई हित नही है और ना ही प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 का हित है। वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि स्थित ग्राम किराडोद तहसील पावटा जिला कोटपूत्ली–बहरोड राजस्थान आराजी हाल खसरा नम्बर 1324/1260/0.0520 पर किसी प्रकार से कब्जा करने की कोशिश ना करे, किसी प्रकार का पक्का निर्माण कार्य करने की कोशिश ना करे, वादीगण को शांतिपूर्ण तरीके से खेतीबाडी करने दे और कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदानाकरे। अन्य दादरसी जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया । बावजूद रजिस्टर्ड डाक से तामिल होने के बाद भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही आने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3. वादी वकील ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1324/1260/0.0520 वाके मौजा किराडोद तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी वादी की स्वयं कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जिससे प्रतिवादीगण को कोई लेना–देना ताल्लुक वास्ता नही है। प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे, वादी को शांतिपूर्वक खेतीबाड़ी करने देवे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का सुसंगत अध्ययन कर मूल्यांकन किया गया। वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा वादपत्र में वर्णित आराजी वादी की स्वयं की खातेदारी की काबिज काश्त की भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना या ताल्लुक वास्ता नही है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

4. अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 05 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1324/1260/0.0520 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा किराडोद तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी में किसी प्रकार से कब्जा करने या कच्चा–पक्का निर्माण कार्य ना करे, वादी की खेतीबाड़ी व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे। तदानुसार पालनार्थ तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
163/2025	2025/421	06.11.2025	26.02.2026

शीर्षक

सुनील कुमार चौधरी पुत्र प्रहलाद सहाय चौधरी जाति जाट. निवासी कल्याणपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। **वादी**

बनाम

1. मदनलाल पुत्र सुवालाल
2 धीरज देबी पत्नी मदनलाल
3 मोहित पुत्र मदनलाल
4. मंजित पुत्र मदनलाल
5. मोहन पुत्र सुवालाल

समस्त जाति माली निवासी नहर रोड भोमियांजी का मन्दिर किराडोद, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.।

6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान। **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी सं. 01 लगायत 05 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1324/1260/0.0520 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा किराडोद तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ स्थित आराजी में किसी प्रकार से कब्जा करने या कच्चा–पक्का निर्माण कार्य ना करे, वादी की खेतीबाड़ी व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे। तदानुसार पालनार्थ तहसीलदार पावटा को लिखा जावें।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आज दिनांक 26.02.2026 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	